

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

विज्ञापन सं.: रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/अनुवादक/2017/101

दिनांक : 04/03/2017

अनुवादक (Translator) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा, 2017

- 1- राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय स्टाफ सेवा नियम, 2002 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय हेतु अनुवादक (Translator) के निम्न उल्लेखित रिक्त पदों हेतु नियमानुसार ₹ 14,660/- (fixed) प्रतिमाह पारिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु (Probationer Trainee) की सीधी भर्ती हेतु निर्धारित ऑफलाईन प्रारूप (Offline Format) में ऑफलाईन आवेदन (Offline Application) आमंत्रित किए जाते हैं। (परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें रनिंग पे-बैंड-2 वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे ₹ 4,200/- देय होगा)

विशेष नोट:-

- (1) Offline Application भरने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान उच्च न्यायालय स्टाफ सेवा नियम, 2002 (यथा संशोधित), विस्तृत विज्ञापन, एवं Offline Application भरने के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों (Instructions) का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेवे, जो राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट <http://www.hcraj.nic.in> पर उपलब्ध है।
- (2) आवेदक आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन में अंकित शर्तों व सुसंगत नियमों के तहत पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है तथा ऑफलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक समस्त वांछित एवं सुसंगत सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण रूप से भरी गई हैं। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा अथवा ऑफलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2- रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण:-

UR(GEN)	SC	ST	OBC	TOTAL
09 (Out of which, 1 post for woman)	02	01	03	15 (Out of which, 1 post for Person with Disabilities)

नोट :-

1. उपर्युक्त रिक्त पदों की संख्या में नियमानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है।
2. विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करें।
3. निःशक्तजन हेतु भर्ती एवं नियुक्ति में आरक्षण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस हेतु जारी नियमों के अन्तर्गत होगा।
4. निःशक्तजन हेतु आरक्षित पद का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा अर्थात् जिस श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग) का निःशक्तजन आवेदक चयनित होगा, उसे सम्बन्धित श्रेणी, जिसका वह आवेदक है, में समायोजित किया जायेगा।
5. महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा अर्थात् जिस श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग) की महिला आवेदक चयनित होगी, उसे सम्बन्धित श्रेणी, जिसकी वह आवेदक है, में समायोजित किया जायेगा।
6. महिलाओं एवं निःशक्तजन के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार प्रक्रिया एवं रीति से भरा जायेगा।
7. विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित श्रेणी का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
8. राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार प्रक्रिया एवं रीति से भरा जायेगा।
9. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा।
10. सामान्य वर्ग के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में पात्र होना आवश्यक होगा।
11. आरक्षण के समर्थन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा वृहत् प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
12. भरतपुर एवं धौलपुर जिले के जाट समुदाय के अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी. बी. सिविल रिट संख्या 6046/1999 रतनलाल बागड़ी एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.08.2015 के प्रकाश में सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें।

3- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:-

अभ्यर्थी का भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, से अंग्रेजी विषय में अधिस्नातक की उपाधि धारित करना अनिवार्य है।

(Candidate must be a Post Graduate in English Literature from any recognized university established by law in India.)

विशेष नोट:- विधि स्नातक अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी। (Preference shall be given to a Law Graduate)

4- राष्ट्रीयता:-

सेवा में नियुक्ति हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। (A candidate for appointment to the service must be a citizen of India)

4.3.17

5- **आयु:-**

A candidate for direct recruitment to the Service must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 35 years, on the first day of January preceeding the last date fixed for submission of the application.

PROVIDED that:

- (1) the upper age limit shall be relaxed by five years in the case of the member of the Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Class or Women candidates;
- (2) there shall be no restriction as to age for candidate already serving in connection with the affairs of the State of Rajasthan in a substantive or in a temporary capacity, having been so appointed prior to his attaining the age of 33 years:
PROVIDED that the temporary appointment is permissible under the relevant Rules applicable to service to which the person belongs and is made in accordance with these Rules;
- (3) that there shall be no age limit in the case of widow and divorcee women candidate;
- (4) the upper age limit for the reservists, namely defence services personnel transferred to the reserve shall be 47 years.
- (5) the upper age limit for the Specially Aabled persons shall be relaxed as under :-
 - (i) 10 Years for candidates belonging to General Category;
 - (ii) 13 years for candidates belonging to Other Backward Classes and Special Backward Classes; and
 - (iii) 15 years for candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes:

Provided that in case of exceptional hardship the High Court may further relax the age limit.

EXPLANATION- In the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of the husband from the competent authority and in case of divorcee she will have to furnish the proof of divorce.

It is further explained that the relaxation in age will be admissible only in one category, mentioned in the proviso above.

6- **परीक्षा शुल्क:-**

उक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदक द्वारा निम्न राशि परीक्षा शुल्क के रूप में देय होगी:-

सामान्य श्रेणी	अन्य पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / विधवा महिला / परित्यक्ता (तलाकशुदा) महिला / निःशक्तजन (विशेष योग्यजन)
100 / -	100 / -	25 / -

नोट - परीक्षा शुल्क का भुगतान Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur के पक्ष में किसी भी बैंक द्वारा जारी एवं जोधपुर में देय रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट (Demand Draft) रुपये 100/- या 25/- जो भी लागू हो के रूप में करना होगा।

7- **परीक्षा शुल्क की वापसी:-**

परीक्षा शुल्क की वापसी से संबंधित किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही परीक्षा शुल्क किसी अन्य परीक्षा हेतु आरक्षित किया जायेगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन ही निरस्त नहीं कर दिया जाता। विज्ञापन निरस्तीकरण की दशा में ही परीक्षा शुल्क की वापसी अनुज्ञेय होगी।

8- **नियुक्ति के लिए निरर्हताएँ:-**

No candidate shall be eligible for appointment, if he has more than two children on/or after the commencement of these rules:

Provided that the candidate having more than two children shall not be deemed to be disqualified for appointment so long as number of children he/she has on the date of commencement of this rule does not increase:

Provided further that where a candidate has only one child from earlier delivery but more than one child is born out of single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children.

EXPLANATION: For the purpose of this sub rule, child born within 280 days from the date of commencement of these rules shall not constitute disqualification.

नोट :- राजस्थान उच्च न्यायालय स्टाफ सेवा नियम, 2002 (यथा संशोधित) का नियम 9ए दिनांक 29.09.2005 से प्रवृत्त (Commence) हुआ है।

9- **परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम:-**

1. Recruitment shall be made by holding a test in English and Hindi translation. Candidates shall be given passages in English from the Judgments and Records and shall be asked to translate them into Hindi. Similarly, passages in Hindi from the Records or from some other Books etc. shall be given and the candidates shall be asked to translate them into English.
2. Written Examination shall include the following papers & each paper will carry the number of marks shown against it:-

Sr.No.	Paper Name	Max. Marks	Min. Marks	Duration
1.	Paper-I English to Hindi Translation	100	60	120 Minutes
2.	Paper-II Hindi to English Translation	100	60	120 Minutes

Note:-

1. A candidate shall have to secure minimum 60% marks in each paper and 75% marks in aggregate.
2. Both the papers will be taken in two shifts of two hours each in one day.

4.3.17

10- आवेदन कैसे करें:-

1. आवेदन केवल Offline Application के रूप में ही लिये जाएंगे। आवेदन-पत्र का प्रारूप (Print-out) राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट (www.hcrj.nic.in) से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदक इसी प्रारूप में ही आवेदन करें किसी अन्य प्रारूप में भरे हुए आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
2. कोई भी आवेदक जिस श्रेणी (Category) के तहत आवेदन करने का पात्र है, वह उस श्रेणी (Category) में ही आवेदन करे।
नोट :- राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।
3. आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक प्राप्त होने वाले आवेदन ही स्वीकार किये जाएंगे।
4. प्राप्त आवेदन-पत्र में भरी गयी प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, और ना ही कोई अतिरिक्त दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11- आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों की सूची :-

- i. फोटो पहचान-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
- ii. शैक्षणिक योग्यता के समर्थन में परीक्षा प्रमाण-पत्र एवं अंक-तालिका की प्रमाणित प्रतिलिपियां।
- iii. Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur के पक्ष में जारी एवं जोधपुर में देय रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट (Demand Draft) रूपये 100/- या 25/-, जो भी लागू हो।
- iv. जन्म-तिथि के समर्थन में जन्म प्रमाण-पत्र अथवा सैकेण्डरी स्कूल परीक्षा प्रमाण-पत्र अथवा अंक तालिका की प्रमाणित प्रतिलिपि।
- v. आरक्षण के समर्थन में जाति प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा वृहत् प्रारूप में जारी किया गया हो।
- vi. एक चरित्र प्रमाण-पत्र जो कि प्रधानाचार्य/शैक्षणिक अधिकारी, विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ विद्यालय द्वारा जारी किया गया हो, जहां अभ्यर्थी द्वारा अंतिम बार अध्ययन किया गया हो।
- vii. दो उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र जो विज्ञापन जारी होने कि तिथि से 6 माह पूर्व के न हों।
- viii. विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति, विवाह का पंजीयन नहीं होने की स्थिति में शपथ-पत्र।
- ix. विधवा महिला अभ्यर्थी, अपने पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र; तथा तलाकशुदा महिला, विवाह विच्छेद के प्रमाण की सत्यापित प्रति।
- x. विशेष योग्यजन (Specially Abled), निर्धारित प्रारूप में जारी अयोग्यता प्रमाण-पत्र (Disability Certificate) की सत्यापित प्रतिलिपि।
- xi. राजस्थान राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में मौलिक/अस्थायी हैसियत से सेवारत व्यक्तियों, जो कि नियमानुसार पात्रता धारक हो, नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं नियुक्ति पत्र की प्रति।
- xii. आवेदन पत्र के कॉलम नम्बर 7 चरित्र सत्यापन (Character Verification) के कॉलम 7.1 से 7.7 के सभी या किन्ही कॉलम में (Yes) होने पर संबंधित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियां।

12- आवेदन करने की समय सीमा:-

पूर्णतः भरे हुए आवेदन-पत्र मय समस्त दस्तावेज एवं परीक्षा शुल्क, **रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर (राजस्थान), पिन-342001** के कार्यालय में **मंगलवार दिनांक 04.04.2017 (कार्यालय समय) तक** व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा अवश्य पहुंच जाने चाहिए। तत्पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

13- परीक्षा का स्थान, माह एवं दिनांक:-

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा जोधपुर में लिये जाने की संभावना है। प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या को देखते हुए परीक्षा केन्द्रों की संख्या में बढ़ोतरी अथवा परीक्षा आयोजित किये जाने के स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार **राजस्थान उच्च न्यायालय** के पास सुरक्षित है। **परीक्षा के माह व दिनांक के संबंध में सूचना पृथक से जरिये वेबसाइट प्रसारित की जाएगी।**

14- प्रवेश-पत्र (Admission Card):-

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रवेश-पत्र डाक से भेजे जाएंगे। परीक्षा की तिथि निर्धारित होने के उपरान्त अभ्यर्थियों के रोल नम्बर एवं प्रवेश-पत्र जारी किए जाने की सूचना वेबसाइट के माध्यम से शीघ्र जारी की जाएगी। इसलिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।

15- महत्वपूर्ण सूचनाएँ:-

- (1) समस्त अभ्यर्थियों को सभी संबंधित मूल दस्तावेज/प्रमाण-पत्र, जिनके आधार पर वे किसी भी प्रकार का दावा (Claim) करते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर (On being required) प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।
- (2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता देय नहीं होगा।
- (3) परीक्षा का परिणाम केवल सफल अभ्यर्थियों को ही पृथक से संसूचित किया जायेगा किन्तु सम्पूर्ण परीक्षा का परिणाम राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेब साइट <http://www.hcrj.nic.in> पर अपलोड करके सभी अभ्यर्थियों को संसूचित किया जायेगा।
- (4) **कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा-कक्ष/परीक्षा-केन्द्र के परिसर में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर एवं अन्य कोई संचार यंत्र (any other electronic/communication devices) तथा पर्स इत्यादि कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर नहीं आएँ। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुएँ, जैसे पेन, पेन्सिल, प्रवेश-पत्र या राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित एवं अनुज्ञेय सामग्री ही कक्ष में ले जा सकता है।**
- (5) जिस परिसर में भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहां मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर या अन्य कोई संचार यंत्र (any other electronic/communication devices) रखने की अनुमति नहीं है। ऐसी किसी वस्तु की सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान उच्च न्यायालय, किसी की भी नहीं होगी।
- (6) परीक्षार्थियों को राजस्थान उच्च न्यायालय/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त/अधिकृत अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों की अनिवार्यतः पालना करनी होगी। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध भविष्य में होने वाली परीक्षा में बैठने पर रोक सहित समुचित कानूनी एवं अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।
- (7) ऐसे आवेदक, जिनके पूर्ण रूप से एवं सही-सही भरे हुए आवेदन-पत्र **रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर** के कार्यालय में अन्तिम दिनांक (कार्यालय समय) तक प्राप्त होंगे, उनको ही **राजस्थान उच्च न्यायालय** द्वारा

अनन्तिम (Provisional) रूप से परीक्षा में बैठने दिया जायेगा। किसी आवेदक को परीक्षा में बैठने के लिए केवल मात्र प्रवेश-पत्र जारी कर दिये जाने का यह अर्थ नहीं है कि **राजस्थान उच्च न्यायालय** द्वारा उसकी अभ्यर्थिता अन्तिम (Final) रूप से सही मान ली गई है अथवा आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टियां **राजस्थान उच्च न्यायालय** द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं। **राजस्थान उच्च न्यायालय** द्वारा आवेदक की मूल प्रलेखों से व नियमानुसार पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन/महिला/विधवा/परित्यक्ता/राज्य कर्मचारी आदि के रूप में पात्रता की अन्य आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करने के आधार पर उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी अभ्यर्थिता (Candidature) किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा।

- (8) **अनुचित साधनों की रोकथाम** :- परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा में **अनुचित साधनों** का प्रयोग करने पर उनके विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय, जो भी उचित समझें कार्यवाही कर सकता है जिसमें परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत समुचित कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
- (9) कोई अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण का (Impersonation) या कूट रचित/छेड़छाड़ युक्त दस्तावेजात को प्रस्तुत करने (Submitting Fabricated or Tempered with Documents) का या अशुद्ध/असत्य कथन करने (Making Incorrect or False Statements) का या तात्त्विक सूचनाओं को छिपाने का (Suppressing Material Information) या परीक्षा में या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने या करने का प्रयास करने का (Using or Attempting to use Unfair Means in the Examination or Interview) या अन्यथा परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने या किसी साक्षात्कार हेतु बुलावा प्राप्त करने हेतु अन्य किसी अनियमित या अनुचित साधनों का सहारा लेने का (Otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination or appearance at any interview) दोषी पाया जाता है या राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दोषी घोषित किया जाता है, वह आवेदक/परीक्षार्थी स्वयं को आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाने के साथ-साथ राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी परीक्षा में प्रवेश लेने से या किसी भी साक्षात्कार में उपस्थित होने से स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित (Debarred) कर दिया जाएगा या राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन प्राप्त करने से वंचित (Debarred) कर दिया जाएगा।
- (10) **श्रुत लेखक की सुविधा** :- सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न-उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे। केवल **Rajasthan Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full participation), Rules, 2011** में वर्णित ऐसे निःशक्त व्यक्ति जो स्वयं अपने हाथ से प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्थ हैं, उन्हें रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के कार्यालय को परीक्षा आयोजित किये जाने की दिनांक से 15 दिन पूर्व तक प्रार्थना पत्र वांछित प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत करने पर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा श्रुत लेखक की सुविधा देय होगी, लेकिन दुर्घटनावश अथवा अस्थाई रूप से लेखन कार्य में असमर्थ हुए परीक्षार्थी को यह सुविधा देय नहीं होगी।

राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट एवं हैल्प लाईन:-

आवेदक, राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट <http://www.hcrj.nic.in> पर उपलब्ध सूचनाओं से भी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की सहायता/ मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा इस परीक्षा के लिए संचालित की जाने वाली **हैल्प लाईन (Help Line)** के दूरभाष **सं० 0291-2541388, 2545040** पर कार्यालय समय के दौरान (during office hours) तथा राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिसर में स्थापित कन्ट्रोल रूम पर व्यक्तिगत रूप से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

आवश्यकता होने पर समस्त पत्र व्यवहार रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को सम्बोधित किया जावे।


4.3.17
रजिस्ट्रार (परीक्षा)